न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 248/2021

अनवान : –

1. राजबाला पुत्री सुलतान जाति मेघवाल निवासी दलपतपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

– **वादी**

बनाम्

1. सुभाष पुत्र सुलतान जाति मेघवाल निवासी झण्डाखुर्द तहसील सर्दुलगढ़ जिला मानसा पंजाब।
2. कमला पत्नी सुलतान जाति मेघवाल निवासी झण्डाखुर्द तहसील सर्दुलगढ़ जिला मानसा पंजाब।
3. इमरती पुत्री सुलतान जाति मेघवाल निवासी झण्डाखुर्द तहसील सर्दुलगढ़ जिला मानसा पंजाब।
4. उमा पुत्री सुलतान जाति मेघवाल निवासी झण्डाखुर्द तहसील सर्दुलगढ़ जिला मानसा पंजाब।
5. मन्जू पुत्री सुलतान जाति मेघवाल निवासी झण्डाखुर्द तहसील सर्दुलगढ़ जिला मानसा पंजाब।
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।
7. उप पंजीयक नोहर तहसील नोहर।

– **प्रतिवादीगण**

8. सोनु बाला पुत्री सुलतान जाति मेघवाल निवासी झण्डाखुर्द तहसील सर्दुलगढ़ जिला मानसा पंजाब।

–तरतीबी प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89 ,राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता **वादी**

पेरोकार राज

निर्णय दिनांकः 01/05/26

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा दलपतपुरा तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2070–73 के खाता स0 300/300 की कुल 3.0530 हैक्ट भूमि में से 1/3 हिस्सा भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उक्त भूमि वादी की दादालाई खातेदारी भूमि है जो की वर्तमान में प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है उक्त भूमि पूर्व में वादी पूर्वजों के नाम थी। प्रतिवादी स0 1 ने जालसाजी करके वारिस प्रमाण पत्र में वादीया व तरतीबी प्रतिवादी स0 8 का नाम छिपाते हुए कुल 7 वारिसों के स्थान पर कुल 5 वारिस अंकित करवा लिये। वादीया के पिता सुलतान पुत्र कुम्भाराम के कुल 7 वारिस है तथा वारिस प्रमाण पत्र में कुल 5 वारिसों को ही दर्शाया जाकर वादीया व तरतीबी प्रतिवादी स0 8 का नाम जान बुझकर उनका हक हिस्सा हड़पने की नियत से छिपाया गया है। वादीया के पिता सुलतान पुत्र कुम्भारा के देहान्त के बाद वादीया व प्रतिवादी स0 8 का नाम वारिस प्रमाण पत्र में अंकित नही कर विरासतन नामान्तरण दर्ज करवाकर प्रतिवादी स0 2 ता 5 से दस्बरदारी करवा लिया जो नामान्तरण स0 542 में दर्ज है। प्रतिवादी स0 1 ने सम्पूर्ण भूमि अपने अकेले के नाम करवा ली जिससे वादीया के खातेदारी हकों का हनन हो रहा है। वाद भूमि पैतृक भूमि होने के कारण वादीया व प्रतिवादी स0 8 का भी उक्त भूमि में जन्मजात हक हिस्सा है एवं वादीया व प्रतिवादी स0 8 अपना हक हिस्सा दर्ज करवा पाने की अधिकारी है। यही बिनाय दावा है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.05.08 11:06:59 IST
Reason: SelfAttested

Rahul.
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

वादी ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण को सम्यक नोटिस तामील होने के बाद भी प्रतिवादीगणी उपस्थित नही अत एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। प्रतिवादी संख्या 6 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि उक्त भूमि वादी की दादालाई खातेदारी भूमि है जो की वर्तमान में प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है उक्त भूमि पूर्व में वादी पूर्वजों के नाम थी। प्रतिवादी स0 1 ने जालसाजी करके वारिस प्रमाण पत्र में वादीया व तरतीबी प्रतिवादी स0 8 का नाम छिपाते हुए कुल 7 वारिसों के स्थान पर कुल 5 वारिस अंकित करवा लिये। वादीया के पिता सुलतान पुत्र कुम्भाराम के कुल 7 वारिस है तथा वारिस प्रमाण पत्र में कुल 5 वारिसों को ही दर्शाया जाकर वादीया व तरतीबी प्रतिवादी स0 8 का नाम जान बुझकर उनका हक हिस्सा हड़पने की नियत से छिपाया गया है। वादीया के पिता सुलतान पुत्र कुम्भारा के देहान्त के बाद वादीया व प्रतिवादी स0 8 का नाम वारिस प्रमाण पत्र में अंकित नही कर विरासतन नामान्तरण दर्ज करवाकर प्रतिवादी स0 2 ता 5 से दस्बरदारी करवा लिया जो नामान्तरण स0 542 में दर्ज है। प्रतिवादी स0 1 ने सम्पूर्ण भूमि अपने अकेले के नाम दर्ज करवा ली जिससे वादीया के खातेदारी हकों का हनन हो रहा है। वाद भूमि पैतृक भूमि होने के कारण वादीया व प्रतिवादी स0 8 का भी उक्त भूमि में जन्मजात हक हिस्सा है एवं वादीया व प्रतिवादी स0 8 अपना हक हिस्सा दर्ज करवा पाने की अधिकारी है। वादीया का वाद डिक्री फरमाया जावें।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा दलपतपुरा तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत् 2070–73 के खाता स0 300/300 की कुल 3.0530 हैक्ट भूमि में से 1/3 हिस्सा भूमि प्रतिवादी स0 1 के [illegible] राजस्व रिकार्ड है। वादीया द्वारा कथन किया गया है कि प्रतिवादी स0 1 [illegible] भूमि है एवं प्रतिवादी स0 1 ने जालसाजी करके वारिस प्रमाण पत्र में वादीया व [illegible]रतीबी प्रतिवादी स0 8 का नाम छिपाते हुए कुल 7 वारिसों के स्थान पर कुल 5 वारिस अंकित करवा लिये। वादीया के पिता सुलतान पुत्र

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.05.08 11:06:59 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

कुम्भाराम के कुल 7 वारिस है तथा वारिस प्रमाण पत्र में कुल 5 वारिसों को ही दर्शाया जाकर वादीया व तरतीबी प्रतिवादी स0 8 का नाम जान बुझकर उनका हक हिस्सा हड़पने की नियत से छिपाया गया है। वादीया के पिता सुलतान पुत्र कुम्भारा के देहान्त के बाद वादीया व प्रतिवादी स0 8 का नाम वारिस प्रमाण पत्र में अंकित नही कर विरासतन नामान्तरण दर्ज करवाकर प्रतिवादी स0 2 ता 5 से दस्बरदारी करवा लिया जो नामान्तरण स0 542 में दर्ज है। प्रतिवादी स0 1 ने सम्पूर्ण भूमि अपने अकेले के नाम दर्ज करवा ली जिससे वादीया के खातेदारी हकों का हनन हो रहा है। वाद भूमि पैतृक भूमि होने के कारण वादीया व प्रतिवादी स0 8 का भी उक्त भूमि में जन्मजात हक हिस्सा है एवं वादीया व प्रतिवादी स0 8 अपना हक हिस्सा दर्ज करवा पाने की अधिकारी है लेकिन वादीया द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज पेश नही किया गया है जिससे यह साबित हो की उक्त भूमि वादीया द्वारा प्रस्तुत वारिस प्रमाण पत्र के आधार पर दर्ज हुई है एवं न ही वादीया द्वारा दस्तबरदारी की नकल पेश की गई है विरासतन नामान्तरण के मुताबिक सुलतान की बेटियों द्वारा दस्बरदारी की गई है नामान्तरण में सुलतान की बेटीयों के नाम अंकित नही है वादीया द्वारा दस्बरदारी का कथन किया गया है लेकिन दस्तरदारी की नकल पेश नही कि गई है जिससे यह साबित नही होता है कि वादीया व तरतीबी प्रतिवादी स0 8 का नाम दस्तरदारी में है या नही एवं वादीया द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के मुताबिक यह भी साबित नही है कि सरपंच ग्राम पंचायत दलपतपुरा द्वारा जारी वारिस प्रमाण पत्र के आधार पर विरासतन नामान्तरण दर्ज हुआ है। अत वाद वादीया साक्ष्य सबूतों के अभाव में साबित नही होने के कारण खारिज योग्य है।

अतः वाद वादीया साक्ष्य सबूतों के अभाव में साबित नही होने के कारण खारिज किया जाता है। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 01/05/26 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Rahul

(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.05.08 11:06:59 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 248/2021

अनवान : –

1. राजबाला पुत्री सुलतान जाति मेघवाल निवासी दलपतपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

– वादी

बनाम्

1. सुभाष पुत्र सुलतान जाति मेघवाल निवासी झण्डाखुर्द तहसील सर्दुलगढ़ जिला मानसा पंजाब।
2. कमला पत्नी सुलतान जाति मेघवाल निवासी झण्डाखुर्द तहसील सर्दुलगढ़ जिला मानसा पंजाब।
3. इमरती पुत्री सुलतान जाति मेघवाल निवासी झण्डाखुर्द तहसील सर्दुलगढ़ जिला मानसा पंजाब।
4. उमा पुत्री सुलतान जाति मेघवाल निवासी झण्डाखुर्द तहसील सर्दुलगढ़ जिला मानसा पंजाब।
5. मन्जू पुत्री सुलतान जाति मेघवाल निवासी झण्डाखुर्द तहसील सर्दुलगढ़ जिला मानसा पंजाब।
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।
7. उप पंजीयक नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

8. सोनु बाला पुत्री सुलतान जाति मेघवाल निवासी झण्डाखुर्द तहसील सर्दुलगढ़ जिला मानसा पंजाब।

–तरतीबी प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 248 सन 2021 निर्णय दिनांक 01/05/26

आज यह वाद मुझ राहुल श्रीवास्तव उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री रविन्द्र कुमार गोदारा एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों के अभाव में साबित नही होने के कारण खारिज किया जाता है।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 01/05/26 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Rahul

(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.05.08 11:06:59 IST
Reason: SelfAttested